न्यायालय सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, मसूदा, जिला अजमेर
पीठासीन अधिकारी सुरेश चावला(RAS)
राजस्व वाद सख्या–12/2006

1. बीरमा पुत्र धन्ना
2. उगमापुत्र गणेश
3. गोविन्द पुत्र सुखदेव
4. श्रीमती बरजी पत्नि सुखदेव समस्त जाति चमार (बैरवा) निवासीगण ग्राम संजयनगर बरल दोयम तहसील बिजयनगर जिला अजमेर

.....वादीगण

बनाम

1. श्रीमती सुखी पत्नि रोडू
2. रोडू पुत्र मांगी लाल
   समस्त जाति धोबी निवासीगण संजयनगर बरल दोयम तहसील बिजयनगर जिला अजमेर
3. श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय बिजयनगर

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 एवं धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

निणर्य दिनांक 19.01.2017

इस वाद पत्र में वादीगण ने साराशतः निवेदन किया है कि ग्राम व पटवार मंडल बरल दोयम भू.अ. नि. क्षेत्र बिजयनगर जिला अजमेर की जमाबंदी संवत् 2059–62 के अनुसार विवादित आराजियात खाता संख्या 397 ख0 न0 140, 187, 188, 141, किता 4 रक्बा 1.1890 है खाता संख्या 396 ख0 न0 139 रक्बा 0.0283 गै0 मु0 चाह व खाता 54 ख0 न0 138 व 143 किता 2 रक्बा 0.6475 तथा खाता संख्या 738 ख0 न0 142 रक्बा 0.3804 है। इनके साबिक ख0 न0 95 रक्बा 11–11–00 बीघा था जिसके हाल न0 138, 140, 141, 142, 143, किता 5 रक्बा 11–11–00 बीघा बने है जो सन् 1970 तक वादीगण की संयुक्त खातेदारी में चली आ रही थी जिसमें वादी संख्या 2 उगमा व मिश्री व घीसा पिता गणेश का भी जमाबंदी अनुसार हिस्सा कायम था 1 मिश्री व घीसा पिता गणेश ने अपना हिस्सा बिना सहखातेदारान की सहमति एवं बिना बटंवारे के प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बेचान कर दिया है। जिसका नामान्तकरण संख्या 1187 दिनांक 3.09.2004 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम हो गया है। इस बेचान से पूर्व क्रेता एवं विक्रेता के मध्य एक इकरारनामा निष्पादित हुआ था जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 व 2 में स्वीकार किया कि शामलाती रूप से चली आ रही भूमियां, रास्ते एवं कुआं तथा उसपर लगाईजन शामीलाती रूप में उपभोग उपयोग में रहेगा। लेकिन हाल ख0 न0 138/1457 रक्बा 12 बिस्वा जो उगमा, घीसा व मिश्री पिता गणेश की गैरखातेदारी में है जिसका बेचान नही किया गया है का भी बंटवारा वादीगण की जानकारी के अभाव में करवा लिया है जिसका नामान्तकरण 1279 दिनांक 28–02–2005 से अमल हो चुका है। इसी बटवारे के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादीगण को धमकियां दे रहे है इसलिए नामान्तरण संख्या 1187 दिनांक 3.09.2004 व 1279 दिनांक 28.02.2005 जो फर्जी तरीके से दर्ज किये गये है। उन्हे निरस्त फर्माया जावे तथा जरिये माप एवं सीमांकन बंटवारा किया जाकर पक्षकारान के पृथक–पृथक खाते व लगान कायम किया जावे तथा प्रतिवादीगण को विवादित आराजियात का वर्तमान स्वरूप कायम रखने हेतु जरिये स्थाई निषेधा पाबंद किया जावे एवं ख0 न0 138/1457 रक्बा 12 बिस्वा में उगमा, घीसा, मिश्री पिता गणेश को खातेदार दर्ज करवाया जावे तथा इसे शामलाती उपयोग उपभोग में रखा जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपने प्रतिवाद पत्र में निवेदन किया है कि वाद कथन सर्वथा मिथ्या है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने विवादित भूमियों में मिश्री व घीसा पिता गणेश का हिस्सा खरीदा है और जिसका नामान्तकरण भी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम विधिक रूप से कर दिया गया है। उगमा, घीसा, मिश्री,

उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

पिता गणेश की शामालाती ख0 न0 138/1457/रक्बा 12 बिस्वा गैरखातेदारी की भूमि में से उनका हिस्से की 08 बिस्वा भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने जरिये एग्रीमेंट खरीद की है। बंटवारा वादीगण व उनके भाई घीसा व मिश्री के बीच हुआ है बटवारे हिस्से आई भूमि को ही घीसा व मिश्री प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बेचान की है। अतः पुनः बटवारे की आवश्यकता नही है वास्ते बाबत् लाए है जिसका क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय का नही है अतः वाद सव्यय निरस्त फमार्या जावे।

प्रतिवाद प्राप्ति पर प्रकरण में 5 तनकियात कायम कर शहादत पक्षकारान तलब की गई

तनकी संख्या

तनकी 1. आया वादीगण ग्राम बरल द्वितीय के ख0 न0 138/1457 की खातेदारी पाने के अधिकारी है? .....वादीगण

तनकी 2. आया कि वादीगण बरल द्वितीय के खाता संख्या 397, 396, 54, 738 एवं वाद पत्र के चरण न0 2 में वर्णित वादग्रस्त भूमियों का बाई मीटस एवं बाउण्डस के बंटवारा की डिक्री कराकर राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज तरमीम कराने के अधिकारी है? .....वादीगण

तनकी 3. आया वादीगण वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है? .....वादीगण

तनकी 4. आया वादीगण वादग्रस्त भूमियों के रेकॉर्ड, नक्शे में इन्द्राजात को दुरस्ती कराने के अधिकारी है? .....वादीगण

वादीगण को प्रयाप्त अवसर दिये जाने के बावजूद कोई शहादत पेश नही की अतः हक शहादत वादी बंद किये गये। शहादत प्रतिवादी में प्रतिवादी संख्या 2 ने बयान शपथ पत्र पेश किया जिस पर मुख्य परीक्षण वादीगण द्वारा नही किया गया। प्रकरण में बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षान सुनी गई। उनके तर्क वितर्क वाद प्रतिवाद पत्रानुसार रहे। वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्यों में किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां या मूल दस्तावेज पेश नही किये है सभी छाया प्रतियां है जिन पर भी स्वयं द्वारा प्रमाणीकरण अंकित नही किया गया है अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज ग्राहय योग्य नही है।

इस प्रकार वादीगण तनकी संख्या 1 से 4 को अपने पक्ष में साबित करने से कासिर रहे है अतः बहक प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तय की जाती ळें

तनकी 5 आया प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अपने प्रतिवाद पत्र में वर्णित कारणों के आधार पर वाद ग्रस्त भूमि के वाद को मय हर्जे खर्चे के खारिज कराने के अधिकारी है?

इसका भार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 पर रहा है उन्होंने इन्हे अपने प्रतिवाद पत्र से ही साबित कर दिया है।

अतः वादीगण वाद पत्र पर किसी भी अनुतोष प्राप्ति के अधिकारी नही पाये जाते है अतः उनके द्वारा ग्राम बरल द्वितीय स्थित आराजी ख0 न0 140, 187, 188, व 141 तथा चाह न0 139 व 138, 143 व 142 में घोषणाधिकार खातेदारी एवं विभाजन तथा स्थाई निषेधाज्ञा एवं इन्द्राज दुरस्ती के लिए लाया गया यह वाद सव्यय निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.01.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भसूदा,

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.02 16:44:42 IST
Reason: SelfAttested
Location: